IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355
(+91 22) 6655 3405, 3410
वेबसाइट : www.idbi.bank.in

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355
(+91 22) 6655 3405, 3410
Website : www.idbi.bank.in

June 25, 2026

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Madam/ Sir,

Notice of 22nd Annual General Meeting of IDBI Bank

In terms of Regulations 30 & 50 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Notice of 22nd Annual General Meeting of IDBI Bank being issued to the Members of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

Yours faithfully,
For IDBI Bank Ltd.

JYOTHI BIJU NAIR

Digitally signed by JYOTHI BIJU NAIR
Date: 2026.06.25 18:09:20 +05'30'

Company Secretary

Enclosure: As above

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005
फोन-(022) 66553336/ 3147
ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbi.bank.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के सदस्यों की **22वीं वार्षिक महासभा मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)** के जरिये आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जायेगी :

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. श्री सुमित फक्का (डीआईएनः 08259618), उप प्रबंध निदेशक को आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

विशेष कारोबार

3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाये तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150 एवं 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों एवं इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 16(1)(बी) और 17, समय-समय पर यथा संशोधित; बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए तथा बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(vi) के अनुसार, श्री अभिजीत चक्रवर्ती (डीआईएनः 09494533), जिन्हें 19 मई 2026 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार, बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार और जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार स्वयं श्री चक्रवर्ती से बैंक के निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी जताने का लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें 19 मई 2026 से लगातार दो (2) वर्षों की अवधि के लिए, जो आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे, को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है''.

   ''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखों को निष्पादित करने,

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai-400 005,
Phone-(022) 66553336 / 3147
E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbi.bank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **22nd Annual General Meeting** of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Tuesday, July 21, 2026** at **11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM),** to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2026 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the Audited Consolidated Financial Statements of the Bank and the Report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2026;

2. To re-appoint Shri Sumit Phakka (DIN: 08259618), Deputy Managing Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 150 and 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, Regulations 16(1)(b) and 17 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time-to-time, Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Abhijit Chakravorty (DIN: 09494533), who was appointed as an Additional Director in the capacity of Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. with effect from May 19, 2026, pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors, in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association of the Bank, and in respect of whom a notice in writing pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 has been received from Shri Chakravorty himself signifying his candidature for the office of Director of the Bank, be and is hereby appointed as an Independent Director of the Bank, not liable to retire by rotation, for a term of two (2) consecutive years with effect from May 19, 2026."

   "RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorised to execute all

सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों के पास अपेक्षित फॉर्म या आवेदन दाखिल करने तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करना, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उपयुक्त और उचित समझा जाए, के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है.''

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो इसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150 एवं 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों एवं इस अधिनियम अधीन बनाये गये नियमों; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 16(1)(बी) और 17, समय-समय पर यथा संशोधित; बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए तथा बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(vi) के अनुसार, श्री केतन शिवजी विकमसे (डीआईएनः 00282877), जिन्हें 26 जून 2026 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार, बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार और जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार स्वयं श्री विकमसे से बैंक के निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी जताने का लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें 26 जून 2026 से लगातार दो (2) वर्षों की अवधि के लिए, जो आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे, को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है''.

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखों को निष्पादित करने, सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों के पास अपेक्षित फॉर्म या आवेदन दाखिल करने तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करना, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उपयुक्त और उचित समझा जाए, के लिए अधिकृत किया जाये और एतदद्वारा किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है** कि बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(iii) और (vii); बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी तथा अन्य लागू प्रावधानों, यथा संशोधित, यदि कोई हो, के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों; कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 149, 152, 160, 196, 197, 203 के प्रावधानों और अनुसूची V, यथा संशोधित, के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों; सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 17(1C) तथा अन्य लागू प्रावधानों; और अन्य लागू कानूनों (जिसमें कोई सांविधिक संशोधन(नों), आशोधन(नों) या पुनः अधिनियमन शामिल हैं, जो इस समय प्रभावी हो) तथा बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार, श्री जयकुमार एस. पिल्लै (डीआईएनः 10041362) को बैंक के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में पुनर्नियुक्त करने के लिए बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है, जो आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए

such agreements, documents, instruments and writings, file requisite forms or applications with the statutory and regulatory authorities and do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary, expedient and appropriate to give effect to this Resolution."

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 150 and 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, Regulations 16(1)(b) and 17 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time-to-time, Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Ketan Shivji Vikamsey (DIN: 00282877), who was appointed as an Additional Director in the capacity of Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. with effect from June 26, 2026, pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors, in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association of the Bank, and in respect of whom a notice in writing pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 has been received from Shri Vikamsey himself signifying his candidature for the office of Director of the Bank, be and is hereby appointed as an Independent Director of the Bank, not liable to retire by rotation, for a term of two (2) consecutive years with effect from June 26, 2026."

`**"RESOLVED FURTHER THAT** the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings, file requisite forms or applications with the statutory and regulatory authorities and do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary, expedient and appropriate to give effect to this Resolution."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Article 116(1)(iii) and (vii) of the Articles of Association of the Bank; the relevant provisions of Section 35B and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949, as amended, read with the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time-to-time; the provisions of Sections 149, 152, 160, 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013 ('the Act'), as amended, read with the rules made thereunder; Regulation 17(1C) and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'); and other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors of the Bank, the approval of the Members of the Bank be and is hereby accorded to the re-appointment of Shri Jayakumar S. Pillai (DIN: 10041362) as Deputy Managing

दायी होंगे, और जिनका कार्यकाल एक (1) वर्ष का होगा, जो 12 जून 2026 से प्रारंभ होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2026 के अपने पत्र द्वारा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 19 मई 2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है यह पुनर्नियुक्ति पारिश्रमिक सहित ऐसी शर्तों पर होगी, जिनका वर्णन इस सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में किया गया है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मंडल (जिसमें विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति भी शामिल है) को श्री जयकुमार एस. पिल्लै को बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान देय पारिश्रमिक, जिसमें नियत वेतन, प्रदर्शन-आधारित परिवर्ती वेतन और अन्य परिलब्धियां शामिल हैं, को समय-समय पर, जैसा उपयुक्त समझा जाये, परिवर्तन, संशोधन, पुनरीक्षण, भिन्नता अथवा बढ़ाने, जो रिज़र्व बैंक के लागू दिशा-निर्देशों, बैंक की क्षतिपूर्ति नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी सूचीबद्धता विनियमों तथा रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमोदनों के अनुपालन के अधीन होंगे, करने के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखों को निष्पादित करने, सांविधिक या विनियामक प्राधिकरणों के पास अपेक्षित फॉर्म या आवेदन दाखिल करने तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करना, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उपयुक्त और उचित समझा जाए, के लिए अधिकृत किया जाये और एतदद्वारा किया जाता है.''

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है** कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 2(जेडबी), (जेडसी) और 23; कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा विधि के अन्य किसी प्रासंगिक प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक आशोधन(नों), या उनका पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (यां) शामिल हैं) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसी म्यूचुअल फंड (एलआईसीएमएफ) के साथ संविदाएं/ करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (चाहे एकल लेनदेन हो अथवा लेनदेनों को मिलाकर या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या आशोधन (नों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में, निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं:

1. म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर कमीशन की प्राप्ति
2. एलआईसीएमएफ के साथ अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएँ और/या संसाधनों/सेवाओं का उसको/से अंतरण, उस प्रतिफल के बदले जो सहमति से तय किया जाये या समय-समय पर तय किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न मुद्रा बाज़ार लेन-देन,

Director (DMD) of the Bank, liable to retire by rotation, for a term of one (1) year commencing from June 12, 2026, as approved by the Reserve Bank of India vide its letter dated May 19, 2026, and by the Board of Directors of the Bank on May 19, 2026, on such terms and conditions, including remuneration, as set out in the Explanatory Statement annexed to this Notice."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank (including the duly constituted Nomination and Remuneration Committee) be and is hereby authorised to alter, modify, revise, vary or increase the remuneration, including fixed pay, performance-linked variable pay and perquisites, payable to Shri Jayakumar S. Pillai during his tenure as Deputy Managing Director of the Bank, from time-to-time, as may be considered appropriate, subject to compliance with the applicable RBI guidelines, the Compensation Policy of the Bank, the provisions of the Companies Act, 2013, the SEBI Listing Regulations and such approval(s) as may be required from the Reserve Bank of India."

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings; file requisite forms, returns or applications with statutory or regulatory authorities; and do all such acts, deeds, matters and things as may be deemed necessary, proper or expedient to give effect to this Resolution."

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulations 2(zb),(zc) and 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and/ or continuing with contracts / arrangements / transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with LIC Mutual Fund (LICMF), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

1. Receipt of commission on sale of Mutual Funds
2. Other transactions and / or arrangements with and / or transfer of resources / services from / to LICMF, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time-to-time including various money market transactions, Buying/ Selling of Govt. Securities / CDs / SLR/Non-SLR securities /

सरकारी प्रतिभूतियों/सीडी/एसएलआर/गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री, कॉरपोरेट बॉन्डों की प्राथमिक बाज़ार के माध्यम से प्राथमिक नीलामी में भाग लेना तथा उन बॉन्डों की द्वितीयक बाज़ार में खरीद और बिक्री तथा मुद्रा बाज़ार लिखत शामिल हैं. इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी संविदाएं/व्यवस्थाएँ/लेन-देन एक वित्तीय वर्ष के दौरान, चाहे एकल रूप से और/या सामूहिक रूप से ₹ 2,781.56 करोड़ या समय-समय पर लागू विधियों/विनियमों के अंतर्गत किसी अन्य विनिर्धारित सीमा से अधिक हो सकते हैं, जिनमें गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री ऐसे लेन-देन मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी; बशर्ते उक्त संविदाएं/व्यवस्थाएँ/लेन-देन बैंक स्वतंत्र आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार की प्रक्रिया में ही संपन्न किए जायेंगे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (जिसमें ऐसी कोई समिति शामिल होगी जिसे बैंक के निदेशक मंडल ने गठित किया है या आगे गठित कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं) को ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजों को करने तथा किसी भी करार, दस्तावेज़ और लेख को निष्पादित करने, जो आवश्यक हो, इसके एकल विवेक से उपयुक्त समझा जाये और इसके द्वारा प्रदत्त सभी या कोई शक्ति को बैंक के किसी निदेशक(गण) और/या अधिकारी(गण) को संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेन-देन के निष्पादन करने और इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु सौंपने के लिए, अनुमोदन प्रदान करते हैं.''

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,

मुंबई-400 005
दिनांक: 12 जून 2026

टिप्पणियां:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 22 सितंबर 2025 के परिपत्र संख्या 03/2025 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 03 अक्तूबर 2024 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 के अनुसार, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में शामिल एवं सहभागिता कर सकते हैं. बैंक का पंजीकृत कार्यालय एजीएम के लिए स्थान माना जाएगा. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके

participating in primary auction of Corporate Bonds through primary market as well as buying & selling those Bonds in secondary market and money market instruments notwithstanding the fact that such contracts/arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹ 2,781.56 crore or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time-to-time wherein buy/sell of Non-SLR Securities would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/arrangements / transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,

Mumbai-400 005
Dated: June 12, 2026

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.

2. In terms of Circular no. 03/2025 dated September 22, 2025 read with all earlier Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 read with all earlier Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Registered office of the Bank shall be deemed to be the venue for AGM. Further, the Notice of AGM along with Annual Report for FY 2025-26 is being sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are

ई-मेल पते शुक्रवार, 19 जून 2026 को केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (बैंक का आरटीए)/नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास पंजीकृत हैं.

3. बैंक ने उन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट के संपूर्ण विवरण तक पहुँचने के लिए सटीक पाथ के साथ वेब लिंक वाला एक पत्र भेजा है, जिनका ईमेल पता बैंक के आरटीए या डीपी के पास पंजीकृत नहीं है. वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियाँ केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएँगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे. जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे कंपनी की ई-मेल आईडी अर्थात् idbiequity@idbi.co.in पर अनुरोध भेजें, जिसमें उनके फ़ोलियो नंबर / डीपी आईडी और ग्राहक आईडी का स्पष्ट उल्लेख हो.

4. एमसीए के द्वारा जारी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 22 सितंबर 2025 के परिपत्र सं. 03/2025 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. तथापि, कॉरपोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने, सहभागिता करने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के हकदार हैं.

5. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक आरंभ होने के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा से जुड़ सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आएं पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं) जिन्हें पहले आएं पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना वार्षिक महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु की जाएगी.

7. कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए द्वारा 05 मई 2022, 13 जनवरी 2021, 05 मई 2020, 13 अप्रैल 2020 और 8 अप्रैल 2020 के साथ पठित 22 सितंबर 2025, 19 सितंबर 2024, 25 सितंबर 2023, 28 दिसम्बर 2022 को जारी परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

8. एमसीए के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 22 सितंबर 2025 के परिपत्र सं. 03/2025 के अनुरूप वार्षिक महासभा के आयोजन का नोटिस बैंक की वेबसाइट www.idbi.bank.in पर अपलोड किया गया है. वार्षिक महासभा का यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा

registered with KFin Technologies Limited (RTA of the Bank) / National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services India Limited (CDSL) as on Friday, June 19, 2026.

3. The Bank has sent, a letter containing the web link, along with the exact path to access the complete details of the Annual Report to shareholders whose email address is not registered with the Bank's RTA or DP. The physical copies of Annual Report and Notice of AGM will be dispatched only to those shareholders who request for the same. Members who are desirous of obtaining hard copy of the Annual Report should send a request to the Bank's e-mail id viz., idbiequity@idbi.co.in clearly mentioning their Folio number / DP ID and Client ID.

4. Pursuant to the Circular No 03/2025 dated September 22, 2025 read with earlier Circulars, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint Authorized Representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate and cast their votes through e-Voting.

5. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc) who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

6. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

7. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated September 22, 2025, September 19, 2024, September 25, 2023, December 28, 2022 read with May 05, 2022, January 13, 2021, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

8. In line with the MCA Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbi.bank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange

www.nseindia.com और एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है.

9. अनुच्छेद 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में बताये अनुसार वार्षिक महासभा के लिए कोरम वीसी के जरिए उपस्थित तीस सदस्य (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) है.

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से उनके पते, सेलेनियम टॉवर बी, इकाईः आईडीबीआई बैंक, प्लॉट सं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-309-4001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, इसके पंजीकृत कार्यालय की 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेली. नं. (022) 66553336/3062/2806/3147, 66194172, ईमेलः idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

11. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वार्षिक महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉगिन करने पर उपलब्ध रहेंगे.

12. यथासंशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसारः

    i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

    ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

    iii) लॉगिन आईडी का विवरण इस नोटिस में नीचे दिया गया है.

13. बैंक का सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ **बुधवार 15 जुलाई 2026 से मंगलवार, 21 जुलाई 2026 तक (दोनों दिन शामिल)** बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्यों या शेयर के हिताधिकारी स्वामियों के रूप में मंगलवार, 14 जुलाई 2026 (दिनांत) को दर्ज होंगे, जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार का निर्धारण करने हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में तय की गई है.

14. सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित संबंधित आईएसआर फॉर्म के साथ सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करके सेवा अनुरोध करें, जिनका प्रारूप बैंक की वेबसाइट https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-investor.aspx और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक), अर्थात् www.kfintech.com पर उपलब्ध है. यह नोट किया जाये कि किसी भी सेवा अनुरोध पर तभी कार्रवाई की जायेगी जब फोलियो केवाईसी अनुपालक है.

of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

9. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

10. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at Selenium Tower B, Unit: IDBI Bank, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, - 500 032 [Toll Free No.1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553336/3062/2806/3147, 66194172, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

11. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

12. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

    i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

    ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

    iii) Details of login id are given below in this Notice.

13. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, July 15, 2026 to Tuesday, July 21, 2026 (both days inclusive).** In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on Tuesday, July 14, 2026 (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

14. Members are requested to make service requests by submitting supporting documents duly filled and signed with relevant ISR forms, the formats of which are available at Bank's website https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-investor.aspx and that of KFin Technologies Limited (KFintech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC compliant.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** शुरू होगी और **सोमवार, 20 जुलाई 2026 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख) अर्थात् **मंगलवार,14 जुलाई 2026** को दर्ज होंगे, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दे सकेंगे. शेयरधारकों के मताधिकार निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **मंगलवार, 14 जुलाई 2026** को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार मतदान करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार ''दो चरण'' शामिल हैं:

चरण 1 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में एक्सेस

अ) **डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन पद्धति तथा वर्चुअल बैठक में शामिल होना**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा के बारे में दिनांक 09 दिसंबर 2020 के सेबी के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरियों और डिपॉज़िटरी सहभागियों के पास खोले गए डीमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी गई है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें.

डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन पद्धति
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं.	1. मौजूदा **आईडीईएस** यूजर व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट: https://eservices.nsdl.com पर जाएँ. ई-सेर्विसेस होम पेज पर ''**Login**'' के अंतर्गत ''**Beneficial Owner**'' आइकॉन पर क्लिक करें जो ''**IDeAS**'' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. यह आपको अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत ''**Access to e-Voting**'' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम या **e-Voting service provider अर्थात् NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on and from **Friday, July 17, 2026 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 20, 2026 at 5.00 p.m (IST).** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. **Tuesday, July 14, 2026,** may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being **Tuesday, July 14, 2026.**

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode**

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the **"Beneficial Owner"** icon under **"Login"** which is available under **'IDeAS'** section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

	2. यदि यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com. पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. ''**Register Online for IDeAS Portal**'' सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें.
	3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही ''**Login**'' आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम या e-Voting service provider अर्थात NSDL पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.
	4. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप ''**NSDL Speede**'' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. मौजूदा यूजर जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/इजीएस्ट सुविधा का चयन किया है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध होगा. ईजी/इजीएस्ट पर लॉगिन करने हेतु उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जायें और **लॉगिन**

	2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS Portal"** or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp
	3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon **"Login"** which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
	4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App **"NSDL Speede"** facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Existing users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi/Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on

	आइकॉन तथा **New System Myeasi टैब** पर क्लिक करें और अपना मौजूदा माय ईजी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें. 2. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद ईजी/इजीएस्ट उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों का ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग जारी है. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा. इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें. 3. यदि यूजर ईजी/इजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. **लॉगिन** और **New System Myeasi टैब** पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें. 4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com के होम पेज में उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर डाल कर सीधे ई-वोटिंग पेज पर एक्सेस कर सकते हैं. सिस्टम, डीमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, यूजर ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेगा जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाता सिस्टम में भी सीधे एक्सैस कर सकेगा.
वैयक्तिक शेयरधारक (जो डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) और अपने डिपॉजिरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल की डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

	login icon & **New System Myeasi Tab** and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on **login** & **New System Myeasi Tab** and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Provider
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

महत्वपूर्ण सूचना : जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हों वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें.

डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली तकनीकी समस्याओं के लिए हेल्पडेस्क.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 022-4886-7000 पर कॉल कर सकते हैं.
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं.

आ) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग तथा वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज एक बार खुल जाने पर ''Login'' आइकॉन पर क्लिक करें जो ''Shareholders/ Member'' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

   विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉगिन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् Cast your vote electronically की तरफ बढ़ सकते हैं.
4. आपका यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिया गया है :

शेयर धारण करने का ढंग,अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है :
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डीमैट खाते में हैं.	8 कैरेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल के डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपका यूजर आईडी 12************** होगा.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at toll free no.: 022-4886-7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/ Member’ section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDeAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDeAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************

ग)	उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	EVEN संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. वैयक्तिक शेयरधारकों से इतर शेयरधारकों का पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है :

    क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

    ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करने पर, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

    ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

        (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाता है. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.

        (ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे वर्णित उन शेयरधारकों के लिए **प्रक्रिया, जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं,** में उल्लिखित चरणों का पालन करें.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

    क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "**Forgot User Details/Password?**" पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).

    ख) www.evoting.nsdl.com पर "**Physical User Reset Password?**" विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

    ग) यदि उपर्युक्त दोनों विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

    घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स का चयन करते हुए "Terms and Conditions" के लिए सहमत पर टिक करें.

c)	For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank. For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

    a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

    b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

    c) How to retrieve your 'initial password'?

        (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL in your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

        (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

    a) Click on **"Forgot User Details/Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

    b) **Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com

    c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

    d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. अब आपको ''Login'' बटन पर क्लिक करना होगा..

9. ''Login'' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा.

चरण 2 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से करें और महासभा में शामिल हों.

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करें और महासभा में कैसे शामिल हों?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के ''EVEN'' देख पाएंगे, जिनके आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग चक्र और महासभा सक्रिय स्थिति में हैं.
2. आप उस बैंक का ''EVEN'' चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा के दौरान मतदान करना चाहते हैं. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको ''Join General Meeting'' के अंतर्गत ''VC/OAVM'' लिंक को क्लिक करना होगा.
3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.
4. उपयुक्त विकल्प अर्थात् Assent या Dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा ''Submit'' पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर ''Confirm'' पर क्लिक करें.
5. पुष्टिकरण के बाद, ''Vote Cast Successfully'' संदेश प्रदर्शित होगा.
6. आप पुष्टिकरण पेज पर ''Print'' विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1 संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षा है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, जिसे मतदान के लिए अधिकृत किया गया है, के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट में) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.com को भेजें. संस्थागत शेयरधारक अपने लॉगिन में ''e-Voting'' टैब के अंतर्गत प्रदर्शित ''Upload Board Resolution/Authority Letter'' पर क्लिक करके निदेशक मंडल का संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र, आदि भी अपलोड कर सकते हैं.

2. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रिसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' या ''Physical User Reset Password?'' के विकल्प पर जाना होगा.

3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा 022 - 4886 7000 पर कॉल करें अथवा at evoting@nsdl.com पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders can also upload their Board Resolution/Power of Attorney/Authority Letter, etc by clicking on "Upload Board Resolution/ Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.com.

इस नोटिस में वर्णित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ट और पृष्ठ भाग), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.

2. यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं तो कृपया DPID-CLID (16 अंकीय डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप चरण 1 (अ) में बताई पद्धति से लॉगिन करें अर्थात् **डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति** का उपयोग करें.

3. विकल्प के तौर पर शेयरधारक/सदस्य ऊपर उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है. इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा.

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों जैसी ही है.

2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं तथा जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में एक्सेस** संबंधी ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप बैंक के नाम के सामने ''**Join Meeting**'' मेनू के अंतर्गत ''VC/OAVM'' लिंक देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि Join

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in.

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**

3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring User ID and Password by providing above mentioned documents.

4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those Members / shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.

3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system.** After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under **"Join meeting"** menu against Bank name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under

Meeting मेनू के अंतर्गत VC/OAVM लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का EVEN प्रदर्शित होगा. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें रिट्रीव कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे की अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की अनुशंसा की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.

5. ऐसे सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, उन्हें एनएसडीएल ई-वोटिंग प्लेटफ़ार्म पर लॉगिन करके और ''Speaker Registration'' टैब पर क्लिक करके तथा अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और शहर का उल्लेख करते हुए गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को सुबह 9.00 बजे से रविवार, 19 जुलाई 2026 को शाम 5.00 बजे की अवधि तक अपना नाम वक्ता के रूप में पंजीकृत कराना होगा.

6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से मंगलवार, 14 जुलाई 2026 की सुबह 9.00 बजे से गुरुवार, 16 जुलाई 2026 की शाम 5.00 बजे तक ई-मेल idbiequity@idbi.co.in पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

7. बैंक एजीएम के सुगम संचालन के लिए यथोचित समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है. जिन शेयरधारकों ने वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

8. एजीएम से पहले या इसके दौरान वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए सदस्यगण एनएसडीएल से 022-4886-7000 पर संपर्क करें अथवा श्री संजीव यादव को SanjeevY@nsdl.com पर मेल करें.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख के बाद अर्थात् शुक्रवार, 19 जून 2026 के बाद और मंगलवार, 14 जुलाई 2026 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार के लिए निर्दिष्ट कट-ऑफ तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शुक्रवार, 19 जून 2026 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख) से मंगलवार, 14 जुलाई 2026 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और मंगलवार, 14 जुलाई 2026 की उक्त निर्दिष्ट तारीख को सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयर, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले

Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. Members who would like to express their views or ask questions during AGM will have to register themselves as Speaker by logging into NSDL's e-Voting platform and clicking on the tab "Speaker Registration" and mentioning their registered e-mail id, mobile number and city during the period starting from Thursday, July 16, 2026 at 9.00 a.m. up to Sunday, July 19, 2026 at 5.00 p.m.

6. Shareholders who would like to express their views / have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account no / folio no, email id, mobile number at idbiequity@idbi.co.in from 9.00 a.m. on Tuesday, July 14, 2026 till 5.00 p.m. on Thursday, July 16, 2026. The same will be replied by the Bank suitably.

7. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time as appropriate for smooth conduct of AGM. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 022-4886-7000 or email to Mr. Sanjeev Yadav at SanjeevY@nsdl.com.

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., Friday, June 19, 2026 and up to Tuesday, July 14, 2026 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from Friday, June 19, 2026 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till Tuesday, July 14, 2026 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of Tuesday, July 14, 2026, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.com by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for

से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प का प्रयोग कर उसे रिसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार मंगलवार, 14 जुलाई 2026 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग कैप के अधीन होगा.
- एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक महासभा में भाग ले सकता है, किन्तु उसे वार्षिक महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रिसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनके आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 20 जुलाई 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो मंगलवार, 14 जुलाई 2026 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझेंगे.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के आरटीए केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (ईकाई-आईडीबीआई बैंक लि.), प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-309-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022- 66553336/3062/2806/3147/66194172) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 022-4886-7000 पर संपर्क करें.

15. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न रहने की स्थिति में श्री एस.एन. विश्वनाथन को संवीक्षक नियुक्त किया है.

16. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 23 जुलाई 2026 को या उससे पहले बैंक की वेबसाइट www.idbi.bank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com. पर प्रदर्शित किए जाएंगे. ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि. तथा बीएसई लि. को भी सूचित किए जाएंगे.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन)

casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of Tuesday, July 14, 2026 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, July 20, 2026 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on Tuesday, July 14, 2026, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice for information only.

For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Limited (Unit-IDBI Bank Ltd.), RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad– 500 032 [Toll Free No.1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005 (022- 66553336/3062/2806/3147/66194172) or NSDL -Toll Free No. 022-4886-7000.

15. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. S. N. Viswanathan, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

16. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before Thursday, July 23, 2026 by displaying the same on Bank's Website www.idbi.bank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies

नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सदस्यों से, जिन्होंने ईमेल-आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करवाया है, अनुरोध किया जाता है कि उक्त विवरण भेजें ताकि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना/ पोस्टल बैलेट, ई-वोटिंग में सहभागिता, वार्षिक रिपोर्ट और/या अन्य सूचनाएँ प्राप्त कर सकें.

02. भौतिक शेयरधारक, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-2023, वित्तीय वर्ष 2023-2024 और वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए घोषित लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-investor.aspx पर उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज जैसे **फॉर्म आईएसआर-1, फॉर्म आईएसआर-2, फॉर्म एसएच-13, फॉर्म आईएसआर-3** को नीचे दिए गए पते पर आरटीए को भेजें:

केफिन टेक्नोलोजीस लिमिटेड (केफिनटेक)
ईकाई-आईडीबीआई बैंक लि., सेलेनिअम टॉवर बी,
प्लॉट नं. 31-32,
गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद - 500 032

[टोल फ्री नं. 1800 309 4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com]

उपर्युक्त दस्तावेजों को बैंक के पंजीयक को प्रस्तुत करने के उपरांत, यदि कोई अवितरित लाभांश हो तो उसके जारी करने हेतु कृपया इसकी सूचना बैंक को उसके ईमेल आईडी idbiequity@idbi.co.in पर दें.

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-2023, वित्तीय वर्ष 2023-2024 और वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए घोषित लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित पते पर आरटीए को अद्यतन क्लाइंट मास्टर सूची भेजें.

03. दिनांक 30 जनवरी 2026 के सेबी परिपत्र संख्या: एचओ/38/13/11(2)/2026 एमआईआरएसडी-पीओडी /1/3750/2026 अनुसरण में, सेबी ने 05 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2027 तक एक विशेष सुविधा प्रदान की है, ताकि 01 अप्रैल 2019 से पूर्व खरीदी या बेची गई भौतिक प्रतिभूतियों को हस्तांतरण के साथ अमूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सके, जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जो पूर्व में अस्वीकृत हो गए थे या कमियों के कारण लंबित रह गए थे. इस सुविधा के माध्यम से अमूर्तीकृत शेयर एक वर्ष की लॉकइन अवधि के अधीन रहेंगे. यह पहल निवेश को सुगम बनाने एवं निवेशकों के हित की सुरक्षा हेतु की गई है. इस योजना के लिए पात्र सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाएं तथा शेयरों का अंतरण अपने नाम(मों) में कराएं.

04. दिनांक 30 जनवरी 2026 के सेबी के परिपत्र संदर्भ संख्या एचओ/38/13(3)/2026-एमआईआरएसडी पीओडी/1/3763/2026 द्वारा पुष्टिकरण पत्र (एलओसी) जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर निवेशक सेवा अनुरोधों को सरल बनाया है तथा प्रतिभूतियों को निवेशकों के डीमैट खातों में सीधे जमा करने की सुविधा प्रदान की है. संशोधित रूपरेखा में डुप्लिकेट प्रमाणपत्रों का निर्गमन, अंतरण, ट्रांसपोजिशन, कॉरपोरेट कार्रवाइयां तथा अदावी उचंत खातों से संबंधित सेवाएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य प्रसंस्करण समय को कम करना और निवेशकों की सुविधा को बढ़ाना है. सेबी ने यह अनिवार्य किया है कि सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण 02 अप्रैल 2026 से केवल अमूर्तीकृत रूप में ही किया जा सकता है.

(Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings/ Postal Ballot, participate in e-Voting, receive Annual Report and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. Physical Shareholders who have not claimed dividend declared for FY 2022-2023, FY 2023-2024 and FY 2024-2025 are requested to submit the KYC documents viz **Form ISR-1, Form ISR-2, Form SH-13 or Form ISR-3 available at** https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-investor.aspx to the RTA at the address provided below:

KFin Technologies Limited (KFintech),
Unit IDBI Bank Ltd, Selenium Tower B,
Plot No.31-32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad- 500032

[Toll Free No. 1800 309 4001, Email: einward.ris@kfintech.com]

After submission of above documents to the Registrar of the Bank kindly intimate the same to the Bank at its email id- idbiequity@idbi.co.in for release of unclaimed dividend, if any.

Shareholders holding shares in demat mode who have not claimed dividend declared for FY 2022-2023, FY 2023-2024 and FY 2024-2025 are requested to submit the updated Client Master list to the RTA at the address mentioned above.

03. Pursuant to SEBI Circular No: HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, SEBI opened a special window from February 05, 2026 to February 04, 2027 to facilitate for transfer-cum-dematerialization of physical securities that were purchased or sold prior to April 01, 2019, including cases that were previously rejected or remained pending due to deficiencies. Shares dematerialized through this facility shall be subject to a lock-in period of one year. This initiative aims to facilitate ease of investment & safeguard of investor interest. The members who are eligible for this are requested to take advantage of this special window and have the shares transferred in their name(s).

04. SEBI vide Circular Ref. No. HO/38/13(3)2026-MIRSD-POD/1/3763/2026 dated January 30, 2026 has simplified investor service requests by eliminating the requirement of issuing a Letter of Confirmation (LOC) and enabling direct credit of securities to investors' demat accounts. The revised framework covers services such as issuance of duplicate certificates, transmission, transposition, corporate actions and unclaimed suspense accounts, with an objective to reduce processing time and enhance investor convenience. SEBI has mandated that securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 2, 2026.

05. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ़ए), कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2026 से 9 जुलाई 2026 की अवधि में "द्वितीय 100-दिवसीय सक्षम निवेशक अभियान" फिर से शुरू किया है, इसका उद्देश्य केवाईसी अपडेट करना, लाभांश दावों का समय पर निपटारा करना और अदावी लाभांश तथा शेयरों को आईईपीएफ़ में अंतरण को रोकना है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण अपडेट करें और अपने अदावी लाभांशों का दावा करें; ऐसा करके वे यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि संबंधित शेयर निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ़ए) को अंतरित न हों.

06. भौतिक शेयरों से संबंधित सभी जोखिमों को दूर करने और डीमैट धारिता के विविध लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयरों को अमूर्त रूप में धारित करें.

<u>वार्षिक महासभा की सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण</u>

1. **<u>सूचना की मद सं. 3 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण</u>**

बैंक के निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (''एनआरसी'') की अनुशंसा के आधार पर और बैंक के संस्था अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, श्री अभिजीत चक्रवर्ती (डीआईएनः 09494533) की नियुक्ति को 19 मई 2026 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में अनुमोदित कर दिया है.

बैंक को श्री अभिजीत चक्रवर्ती से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा है.

यह प्रस्ताव है कि श्री अभिजीत चक्रवर्ती को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार दो(2) वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाए, जो 19 मई 2026 (उनके अतिरिक्त निदेशक के रूप में मूल नियुक्ति की तारीख) से शुरू होगी, और सूचना की मद संख्या 3 में वर्णित विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए.

श्री अभिजीत चक्रवर्ती ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत एक घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह पुष्टि की है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार, निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए वे अयोग्य नहीं हैं.

बोर्ड की राय में श्री अभिजीत चक्रवर्ती एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियमों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे बैंक के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, निदेशक मंडल श्री अभिजीत चक्रवर्ती को 19 मई 2026 से लगातार दो(2) वर्षों की प्रारंभिक अवधि

05. Members are informed that the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Ministry of Corporate Affairs, has relaunched the “Second 100 Day Saksham Niveshak Campaign” for the period from April 1, 2026 to July 9, 2026, to facilitate KYC updation, timely processing of dividend claims, and prevention of transfer of unclaimed dividends and shares to IEPF. Members are requested to update their KYC details and claim their unclaimed dividends, thereby ensuring that the corresponding shares are not transferred to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA).

06. To eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of demat holding, shareholders are requested to dematerialize the shares held by them in physical form.

<u>Explanatory Statements in respect of items of the AGM Notice</u>

1. **<u>Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 3 of the Notice</u>**

The Board of Directors of the Bank, based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee (“NRC”), and pursuant to the provisions of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with the Articles of Association of the Bank, approved the appointment of Shri Abhijit Chakravorty (DIN: 09494533) as an Additional Director in the capacity of Independent Director on the Board of IDBI Bank Limited with effect from May 19, 2026.

The Bank has received a notice in writing from Shri Abhijit Chakravorty under Section 160 of the Companies Act, 2013 proposing his candidature for the office of Director.

It is proposed to appoint Shri Abhijit Chakravorty as an Independent Director of the Bank for an initial term of two (2) consecutive years commencing from May 19, 2026, (being the date of his original appointment as an Additional Director), and to pass the Special Resolution as set out at Item No. 3 of the Notice.

Shri Abhijit Chakravorty has furnished a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 confirming that he meets the criteria of independence as prescribed under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Further, he has confirmed that he is not disqualified from being appointed as a Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013.

In the opinion of the Board, Shri Abhijit Chakravorty fulfils the conditions specified in the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, the SEBI Listing Regulations and the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, for his appointment as an Independent Director and that he is independent of the management of the Bank.

Based on the recommendation of the NRC, the Board of Directors recommends the appointment of Shri Abhijit Chakravorty as an Independent Director of the Bank for

के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा करता है.

एक स्वतंत्र निदेशक के तौर पर, श्री अभिजीत चक्रवर्ती बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए बैठक शुल्क पाने के हकदार होंगे, साथ ही, ऐसी बैठकों में शामिल होने के लिए यात्रा, वाहन व्यय और ठहरने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो कानून के लागू प्रावधानों और बैंक की नीति के अनुसार होगी.

महासभाओं पर सचिवीय मानक-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित विवरण, इस सूचना के अनुबंध में प्रदान किया गया है.

श्री अभिजीत चक्रवर्ती का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः

श्री अभिजीत चक्रवर्ती (उम्र 61 वर्ष) एप्लाइड केमिस्ट्री में पोस्टग्रेजुएट हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं. वे एक अनुभवी बैंकर हैं, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक (''एसबीआई'') में तीन दशकों से भी अधिक का अनुभव है. वे एसबीआई से उप प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए और उनकी अंतिम नियुक्ति एसबीआई की सूचीबद्ध क्रेडिट कार्ड सहायक कंपनी, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में थी.

अपने शानदार कैरियर के दौरान, उन्होंने खुदरा बैंकिंग, अंतरर्राष्ट्रीय बैंकिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी वर्टिकलों में वरिष्ठ नेतृत्व वाली भूमिकाओं का निर्वहन किया है. उनके पास वाणिज्यिक एवं मिड-कॉरपोरेट ऋण वर्टिकलों के अंतर्गत बुनियादी संरचना, ऊर्जा, इस्पात तथा खाद्य तेल जैसे क्षेत्रों के उच्च-मूल्य के कॉरपोरेट ऋणों का 11 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है.

श्री चक्रवर्ती मुख्य महाप्रबंधक के रूप एसबीआई ग्लोबल आईटी केंद्र के प्रमुख भी रहे हैं और चार वर्षों की अवधि तक अन्य वरिष्ठ पदों पर भी कार्य किया है. उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है, उन्होंने बांग्लादेश में एसबीआई के परिचालनों का सीईओ और कंट्री हेड के रूप में नेतृत्व किया है और एसबीआई की हांगकांग शाखा में भी अपनी सेवाएँ दी हैं. वर्तमान में वे बॉबकार्ड लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं.

निदेशक सूचना की मद संख्या 3 के अंतर्गत वर्णित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, श्री अभिजीत चक्रवर्ती स्वयं को छोड़कर बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, के अलावा उपर्युक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्य रूप से कोई संबंध या हित नहीं है. श्री अभिजीत चक्रवर्ती का बैंक के किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

2. <u>सूचना की मद सं. 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण</u>

बैंक के निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (''एनआरसी'') की अनुशंसा के आधार पर और बैंक के संस्था अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, श्री केतन शिवजी विकमसे (डीआईएनः 00282877) की नियुक्ति को 26 जून 2026 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र

an initial term of two (2) consecutive years with effect from May 19, 2026.

As an Independent Director, Shri Abhijit Chakravorty shall be entitled to the payment of sitting fees for attending meetings of the Board and Committees thereof, as well as reimbursement of expenses incurred for travel, conveyance and accommodation for attending such meetings, in accordance with the applicable provisions of law and the policy of the Bank.

The details as required under Secretarial Standard–2 on General Meetings and the SEBI Listing Regulations are provided in the Annexure to this Notice.

The brief profile of Shri Abhijit Chakravorty is provided hereinafter

Shri Abhijit Chakravorty (aged 61 years) is a postgraduate in Applied Chemistry and a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB). He is a seasoned banker with over three decades of experience at the State Bank of India ("SBI"). He superannuated from SBI in the rank of Deputy Managing Director, and his last assignment was as Managing Director & CEO of SBI Cards and Payment Services Limited, the listed credit card subsidiary of SBI.

During his distinguished career, he has handled senior leadership roles across Retail Banking, International Banking and Information Technology verticals. He also possesses over 11 years of experience in high-value Corporate Credit, covering sectors such as Infrastructure, Power, Steel and Edible Oil, within the Commercial and Mid-Corporate Credit verticals.

Shri Chakravorty has also headed the SBI Global IT Centre as Chief General Manager and served in other senior capacities for a period of four years. He has international exposure, having led SBI's operations in Bangladesh as CEO and Country Head, and having served at SBI's Hong Kong Branch. He is presently serving as an Independent Director on the Board of BOBCard Limited.

The Directors recommend passing of the Special Resolution as set out at Item No. 3 of the Notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives, except Shri Abhijit Chakravorty himself, is in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Abhijit Chakravorty is not related to any other Director or Key Managerial Personnel of the Bank.

2. <u>Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 4 of the Notice</u>

The Board of Directors of the Bank, based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee ("NRC"), and pursuant to the provisions of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with the Articles of Association of the Bank, approved the appointment of Shri Ketan Shivji Vikamsey (DIN: 00282877) as an Additional Director in the capacity of Independent

निदेशक की हैसियत से एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में अनुमोदित कर दिया है.

बैंक को श्री केतन शिवजी विकमसे से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी जताई है.

यह प्रस्ताव है कि श्री केतन शिवजी विकमसे को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार दो(2) वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाए, जो 26 जून 2026 (उनके अतिरिक्त निदेशक के रूप में मूल नियुक्ति की तारीख) से शुरू होगी, और सूचना की मद संख्या 4 में वर्णित विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए.

श्री केतन शिवजी विकमसे ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत एक घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अलावा बोर्ड की राय में, वे कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियमों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे बैंक के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड श्री केतन शिवजी विकमसे को 26 जून 2026 से लगातार दो(2) वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा करता है.

एक स्वतंत्र निदेशक के तौर पर, श्री केतन शिवजी विकमसे बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए बैठक शुल्क पाने के हकदार होंगे और ऐसी बैठकों में शामिल होने के लिए यात्रा, वाहन व्यय और ठहरने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो बैंक की लागू नीति और सांविधिक प्रावधानों के अनुसार होगी.

महासभाओं पर सचिवीय मानक-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन, इस सूचना के अनुबंध में किया गया है.

श्री केतन विकमसे का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री केतन शिवजी विकमसे (आयु 60 वर्ष) 1990 से केकेसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी (पूर्व में खिमजी कुंवरजी एंड कंपनी एलएलपी) के वरिष्ठ भागीदार हैं. एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, उनके पास कई उन्नत पेशेवर योग्यताएं हैं, जिनमें आईएफआरएस प्रमाणन, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में डिप्लोमा (डीआईएसए), डेरिवेटिव, आंतरिक लेखापरीक्षा, आईटी और बोर्ड सदस्यों के लिए साइबर सुरक्षा में प्रमाणन शामिल हैं और उन्होंने एआईसीए लेवल-1 एआई पाठ्यक्रम पूरा किया है.

वे फर्म के एश्योरेंस प्रैक्टिस के प्रमुख हैं और उन्हें बड़े कॉरपोरेट, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, जिनमें म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां शामिल हैं, के लेखापरीक्षा के साथ-साथ विनियामक निरीक्षण और जांच का व्यापक अनुभव है. वे आईसीएआई, बीसीएएस, रिजर्व बैंक और सीएजी द्वारा आयोजित पेशेवर मंचों पर नियमित वक्ता हैं और धर्मार्थ संस्थानों एवं कर सलाहकार चैंबर से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं.

उन्होंने पेशे के भीतर कई वरिष्ठ नेतृत्व और तकनीकी भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें एचएलबी इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष का पद शामिल है और वे विभिन्न आईसीएआई बोर्डों, समितियों और विशेषज्ञ अध्ययन समूहों

Director on the Board of IDBI Bank Limited with effect from June 26, 2026.

The Bank has received a notice in writing from Shri Ketan Shivji Vikamsey under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying his candidature for the office of Director.

It is proposed to appoint Shri Ketan Shivji Vikamsey as an Independent Director of the Bank for an initial term of two (2) consecutive years, commencing from June 26, 2026 (being the date of his original appointment as an Additional Director), and to pass the Special Resolution as set out under Item No. 4 of this Notice.

Shri Ketan Shivji Vikamsey has submitted a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013, confirming that he meets the criteria of independence as prescribed under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Further, in the opinion of the Board, he fulfils the conditions specified in the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, the SEBI Listing Regulations and the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and is independent of the management of the Bank.

Based on the recommendation of the NRC, the Board recommends the appointment of Shri Ketan Shivji Vikamsey as an Independent Director for an initial term of two (2) consecutive years with effect from June 26, 2026.

As an Independent Director, Shri Ketan Shivji Vikamsey shall be entitled to payment of sitting fees for attending meetings of the Board and/or Committees thereof, and reimbursement of expenses for travel, conveyance and stay incurred in connection with attending such meetings, as per the applicable policy of the Bank and statutory provisions.

The disclosures as required under Secretarial Standard–2 on General Meetings and the SEBI Listing Regulations are provided in the Annexure to this Notice.

The brief profile of Shri Ketan Vikamsey is provided hereinafter:

Shri Ketan Shivji Vikamsey (aged 60 years) is a Senior Partner of KKC & Associates LLP (formerly Khimji Kunverji & Co LLP) since 1990. A distinguished Chartered Accountant, he holds several advanced professional qualifications, including IFRS Certification, Diploma in Information System Audit (DISA), certifications in derivatives, internal audit, IT and cyber security for board members, and has completed the AICA Level-1 AI Course.

He heads the firm's Assurance Practice and has extensive experience in audits of large corporates, banks and financial institutions, including mutual funds, NBFCs and asset reconstruction companies, as well as regulatory inspections and investigations. He is a regular speaker at professional forums organised by ICAI, BCAS, RBI and CAG, and is actively associated with charitable institutions and the Chamber of Tax Consultants.

He has held several senior leadership and technical roles within the profession, including Chairman of the HLB India Federation, and has been a member of various ICAI

के सदस्य रहे हैं. उन्होंने लेखापरीक्षण और बैंकिंग मानकों पर प्रामाणिक प्रकाशनों में योगदान दिया है और लेखापरीक्षा मानकों, बैंक लेखापरीक्षा, आईटी लेखापरीक्षण और लेखांकन मार्गदर्शन पर कई आईसीएआई कार्य समूहों का आयोजन और उनमें भाग लिया है. उन्होंने पुरस्कार विजेता पेशेवर अध्ययन मंडलियों का नेतृत्व भी किया है.

श्री विकमसे ने मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, अटलांटिस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, एचएलबी टेक्नोलॉजीज (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड, मिलोनी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बरकत प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और ट्रुनिल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्डों में निदेशक के रूप में कार्य किया है.

इसके अतिरिक्त, श्री विकमसे ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में छह वर्षों तक कार्य किया है और वे लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष और एसबीआई की निम्नलिखित समितियों के सदस्य रहेः हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की आईटी रणनीति समिति, धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए बोर्ड की समीक्षा समिति.

निदेशक सूचना की मद संख्या 4 के अंतर्गत वर्णित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री केतन शिवजी विकमसे को छोड़कर बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, के अलावा उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्य रूप से कोई संबंध या हित नहीं है. श्री केतन शिवजी विकमसे का बैंक के किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

3. सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री जयकुमार एस. पिल्लै को भारतीय रिज़र्व बैंक ("रिज़र्व बैंक") के 19 मई 2023 के अनुमोदन के अनुसार, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री जयकुमार ने 12 जून 2023 को कार्यभार ग्रहण किया और तदनुसार, उप प्रबंध निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 11 जून 2026 को समाप्त हुआ.

उनके कार्यनिष्पादन और अनुभव के मूल्यांकन के आधार पर, नामांकन और पारिश्रमिक समिति ("एनआरसी") और निदेशक मंडल ने अपनी-अपनी बैठकों में रिज़र्व बैंक को श्री जयकुमार एस. पिल्लै को 12 जून 2026 से बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में एक और वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त करने की अनुशंसा की. अनुशंसा करते समय, एनआरसी और बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह नोट किया कि श्री जयकुमार ने बैंक के कारोबार और अनुपालन कार्यों, दोनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों के साथ प्रभावी संपर्क बनाए रखा है और परिचालनगत दक्षता बढ़ाने और बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है.

Boards, Committees and Expert Study Groups. He has contributed to authoritative publications on auditing and banking standards and has convened and participated in multiple ICAI working groups on audit standards, bank audits, IT auditing and accounting guidance. He has also led award-winning professional study circles.

Shri Vikamsey has served as a Director on the Boards of Metropolitan Stock Exchange of India Limited, Atlantis Investment Advisors Private Limited, HLB Technologies (Mumbai) Private Limited, Miloni Consultants Private Limited, Barkat Properties Private limited and Trunil Properties Private Limited.

Further, Shri Vikamsey served for six years as an Independent Director on the Board of State Bank of India (SBI) and was the Chairman of Audit Committee and Member of the following committees in SBI:- Stakeholders Relationship Committee cum Customer Service Committee, Risk Management Committee of the Board, IT Strategy Committee of the Board, Special Committee of the Board for Monitoring and Follow–up of Cases of Frauds, Nomination and Remuneration Committee, Corporate Social Responsibility Committee and Board Review Committee for Identification of Wilful Defaulters.

The Directors recommend the passing of the Special Resolution as contained under Item No. 4 of the Notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is clarified that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives, except Shri Ketan Shivji Vikamsey himself, is in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Ketan Shivji Vikamsey is not related to any other Director or Key Managerial Personnel of the Bank.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice

Shri Jayakumar S. Pillai was appointed as Deputy Managing Director (DMD) of IDBI Bank Limited for a period of three years with effect from the date of taking charge, pursuant to the approval of the Reserve Bank of India (“RBI”) dated May 19, 2023. Shri Jayakumar assumed charge on June 12, 2023 and accordingly, his term as DMD concluded on June 11, 2026.

Based on an evaluation of his performance and experience, the Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) and the Board of Directors, at their respective meetings, recommended to the RBI the re-appointment of Shri Jayakumar S. Pillai as Deputy Managing Director of the Bank for a further period of one year with effect from June 12, 2026. While making the recommendation, the NRC and the Board, inter alia, noted that Shri Jayakumar has been instrumental in strengthening both business and compliance functions of the Bank, has maintained effective liaison with the RBI and other regulators, and has played a key role in driving operational efficiency and enhancing the Bank’s overall performance.

श्री जयकुमार ने उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है और कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबध्दता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 और रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रकटन प्रस्तुत किए हैं. प्रस्तावित पुनर्नियुक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी सूचीबद्धता विनियम के प्रावधानों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में है.

तदनुसार, निर्धारित प्रपत्र में रिज़र्व बैंक को 12 जून 2026 से एक और वर्ष की अवधि के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था. रिज़र्व बैंक का 19 मई 2026 का अनुमोदन प्राप्त होने पर, निदेशक मंडल ने बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, श्री जयकुमार एस. पिल्लै को 12 जून 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने को अनुमोदित किया.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित श्री जयकुमार एस. पिल्लै का कुल निश्चित पारिश्रमिक (परिलब्धियों सहित) ₹ 1.38 करोड़ था, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी किराया रियायत, मनोरंजन व्यय, मुफ्त सुसज्जित आवास/मकान किराया भत्ता और अन्य परिलब्धियां शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, श्री जयकुमार ऐसे परिवर्ती वेतन के पात्र होंगे, जो एनआरसी द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाये, यह उनके और बैंक के कार्यनिष्पादन के आधार पर और रिज़र्व बैंक के अनुमोदन अधीन होगा.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के लिए क्षतिपूर्ति की अनुशंसा रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - अभिशासन) निदेश, 2025 के अनुसार एनआरसी द्वारा अलग से की जाएगी और रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी. तदनुसार, श्री जयकुमार एस. पिल्लै को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देय पारिश्रमिक ऐसी अनुशंसा और अनुमोदन के अनुसार होगा.

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निश्चित और परिवर्ती पारिश्रमिक एनआरसी की अनुशंसा और बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा. अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन, वार्षिक रूप से पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्धारण और अनुमोदन करने के लिए एनआरसी और/या बोर्ड को प्राधिकृत करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान करें.

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत अपेक्षित विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में प्रदान किया गया है.

श्री जयकुमार एस. पिल्लै का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया हैः

श्री जयकुमार एस. पिल्लै वर्तमान में बैंक के कॉरपोरेट कारोबार वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं और कई महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख करते हैं, जिनमें बृहद एवं मध्य-कॉरपोरेट समूह, एनपीए प्रबंधन समूह, लेनदेन बैंकिंग समूह, विधि विभाग, मानव संसाधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल बैंकिंग विभाग, ज्ञानार्जन एवं कर्मचारी सहभागिता विभाग, वित्त एवं लेखा विभाग, कॉरपोरेट रणनीति एवं आयोजन विभाग और प्रशासन एवं एफआईएमडी शामिल हैं. वे अनुपालन और जोखिम विभाग की प्रशासनिक देखरेख भी करते हैं.

Shri Jayakumar has given his consent to act as Deputy Managing Director and has submitted the requisite disclosures under the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the applicable RBI guidelines. The proposed re-appointment is in compliance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the SEBI Listing Regulations, and the RBI Guidelines.

Accordingly, an application in the prescribed form was submitted to the RBI for approval of his re-appointment for a further period of one year with effect from June 12, 2026. Upon receipt of RBI approval dated May 19, 2026, the Board of Directors approved the re-appointment of Shri Jayakumar S. Pillai as Deputy Managing Director for a period of one year with effect from June 12, 2026, subject to the approval of the Members of the Bank.

The total fixed remuneration (including perquisites) of Shri Jayakumar S. Pillai, as approved by RBI for FY 2025-26, was ₹ 1.38 crore, which includes Provident Fund, Gratuity, Leave Fare Concession, Entertainment Expenses, free furnished accommodation/house rent allowance and other perquisites. In addition, Shri Jayakumar shall be eligible for variable pay, as may be recommended by the NRC and approved by the Board, based on his performance and that of the Bank, and subject to the approval of RBI.

The compensation of Whole time Directors (WTDs) for FY 2026-27 shall be recommended separately by the NRC in accordance with the RBI (Commercial Banks – Governance) Directions, 2025 and approved by the Board, subject to RBI approval. Accordingly, the remuneration payable to Shri Jayakumar S. Pillai for FY 2026-27 shall be as per such recommendation and approval.

The fixed and variable remuneration of the Whole time Directors of the Bank for each financial year shall be subject to the approval of RBI, based on the recommendations of the NRC and approval of the Board. The Members are, therefore, requested to accord their approval authorising the NRC and/or the Board to determine and approve the remuneration of the Whole time Directors annually, subject to RBI approval.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations has been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Jayakumar S. Pillai is provided hereinafter:

Shri Jayakumar S. Pillai presently leads the Bank's Corporate Business vertical and oversees several critical functions including the Large and Mid-Corporate Group, NPA Management Group, Transaction Banking Group, Legal Department, Human Resources Department, Information Technology & Digital Banking Department, Learning & Employee Engagement Department, Finance & Accounts Department, Corporate Strategy & Planning Department and Administration & FIMD. He also has administrative oversight over the Compliance and Risk Department.

वे बैंक की कई आंतरिक समितियों की अध्यक्षता करते हैं, जिनमें निवेश समिति, ऋण मूल्यांकन समिति (डीएमडी स्तर), सीएसआर और ईएसजी समिति (डीएमडी स्तर), आईसीएएपी संचालन समिति, आईएनडी-एएस समिति, धोखाधड़ी जांच समिति और इरादतन चूककर्ता पहचान समिति, आदि शामिल हैं.

श्री जयकुमार आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. इन भूमिकाओं के माध्यम से, वे कॉरपोरेट बैंकिंग परिचालनों को सुदृढ़ करने, डिजिटल पहलों को समृद्ध करने, अभिशासन मानकों को बढ़ाने और बैंक में एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

निदेशक संलग्न सूचना की मद संख्या 5 में वर्णित सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री जयकुमार एस. पिल्लै को छोड़कर बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, के अलावा उक्त संकल्प से वित्तीय या अन्य रूप से कोई संबंध या हित नहीं है. श्री जयकुमार एस. पिल्लै का बैंक के किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

4. **<u>सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण</u>**

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 23 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित सभी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार लेनदेनों और बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन एक सामान्य संकल्प के माध्यम से आवश्यक है, भले ही ऐसे लेनदेन कारोबार के सामान्य क्रम में और स्वतंत्र आधार पर किए गए हों.

अनुसूची XII के साथ पठित सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 23(1) के अनुसार, ₹ 20,000 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 40,000 करोड़ से अनधिक के वार्षिक समेकित टर्नओवर वाली सूचीबद्ध संस्था के लिए, संबद्ध पक्षकार के साथ लेनदेन को महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब ऐसे लेनदेन(नों) का मूल्य, एकल रूप से या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व लेनदेनों के साथ मिलाकर ₹ 2,000 करोड़ से अधिक हो, साथ ही ₹ 20,000 करोड़ से अधिक के वार्षिक समेकित टर्नओवर का 5% भी हो. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक का वार्षिक समेकित टर्नओवर ₹ 35,631.19 करोड़ था. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण सीमा ₹ 2,781.56 करोड़ है. चूंकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान बैंक द्वारा एलआईसी म्यूचुअल फंड (एलआईसीएमएफ) (प्रवर्तक समूह का सदस्य) के साथ प्रस्तावित लेनदेन उपरोक्त सीमा से अधिक हो सकते हैं, इसलिए इसके लिए लेखापरीक्षा समिति और बैंक के सदस्यों का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है. बैंक की लेखापरीक्षा समिति ने 24 मार्च 2026 और 15 मई 2026 को आयोजित अपनी बैठकों में अन्य के साथ-साथ LICMF के साथ किए जाने वाले लेन-देनों का अनुमोदन किया, जैसा कि इस सूचना में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है. बैंक की लेखापरीक्षा समिति ने बैंक के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की समीक्षा की है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि LICMF के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित लेनदेनों की शर्तें बैंक के हित में हैं.

He chairs several internal committees of the Bank, including the Investment Committee, Credit Appraisal Committee (DMD level), CSR & ESG Committee (DMD level), ICAAP Steering Committee, IND-AS Committee, Fraud Examination Committee and Wilful Defaulters Identification Committee, among others.

Shri Jayakumar also chairs the Board of IDBI Trusteeship Services Limited. Through these roles, he plays a pivotal role in strengthening corporate banking operations, advancing digital initiatives, enhancing governance standards and fostering a strong compliance culture across the Bank.

Directors recommend the passing of the Ordinary Resolution set out at Item No. 5 of the accompanying Notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is clarified that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives, except Shri Jayakumar S. Pillai himself, is concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Jayakumar S. Pillai is not related to any other Director or Key Managerial Personnel of the Bank.

4. **<u>Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice</u>**

Regulation 23 of the Listing Regulations requires Members' prior approval by means of an ordinary resolution for all material related party transactions and subsequent material modifications as defined by the Audit Committee, even if such transactions are in the ordinary course of business and on an arm's length basis.

As per the Regulation 23(1) of the Listing Regulations read with Schedule XII, for a listed entity with annual consolidated turnover exceeding ₹ 20,000 crore but not more than ₹ 40,000 crore, a transaction with a related party shall be considered material if the value of such transaction(s), individually or in aggregate with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 2,000 crore plus 5% of the annual consolidated turnover above ₹ 20,000 crore. For the financial year 2025-26, the Bank's annual consolidated turnover was ₹ 35,631.19 crore. Accordingly, the materiality threshold for FY 2026-27 is ₹ 2,781.56 crore. Since the proposed transactions of the Bank with LIC Mutual Fund (LICMF) (member of promoter group), may exceed the above threshold limit during financial year 2026-27, the same requires the prior approval of the Audit Committee and the Members of the Bank. The Audit Committee of the Bank at its meetings held on March 24, 2026 and May 15, 2026 approved the transactions to be carried out with, inter-alia, LICMF, as specifically mentioned in this Notice. The Audit Committee of the Bank has reviewed the certificate provided by the Whole Time Director and Chief Financial Officer of the Bank confirming that the terms of transactions proposed to be entered into with LICMF is in the interest of the Bank.

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर निदेशक मंडल ने 15 मई 2026 को संपन्न अपनी बैठक में सदस्यों को दी गई सूचना में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की.

यद्यपि उपर्युक्त लेन-देन स्वतंत्र आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार के अंतर्गत होने के कारण अधिनियम की धारा 188 की आवश्यकताओं से मुक्त हैं, फिर भी बेहतर अभिशासन के लिए अधिनियम की धारा 188 के अनुसार सदस्यों का भी अनुमोदन मांगा जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, एलआईसीएमएफ के साथ सभी व्यवस्थाओं / अनुबंधों / करारों /लेन-देनों (चाहे एकल लेन-देन हों, सामूहिक लेन-देन हों, लेन-देनों की श्रृंखला हों या अन्यथा) करने के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन मांगा जा रहा है, चाहे वह पिछली व्यवस्थाओं/अनुबंधों/ करारों /लेन-देनों की निरंतरता(ओं) या विस्तार(रों) या नवीनीकरण(णों) या संशोधन(नों) के रूप में हो या नए और स्वतंत्र लेन-देन(नों) के रूप में हो या अन्यथा. सभी लेन-देन बैंक द्वारा प्राप्त विशिष्ट अनुमोदनों/ पंजीकरणों/लाइसेंसों के अनुसार किए जाते हैं और कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार होते हैं, इसलिए ये बैंक के हित में हैं.

बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, संकल्प संख्या 6 से वित्तीय या अन्य किसी भी रूप से कोई संबंध/हित नहीं है.

सदस्यगण ध्यान दें कि सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के संबद्ध पक्षकार, जैसा कि उनमें परिभाषित किया गया है चाहे ऐसा संबद्ध पक्षकार (रों) इसमें नीचे उल्लिखित लेन-देन में पक्षकार हो या नहीं, संकल्प संख्या 6 को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा.

उद्योग मानक नोट में निर्धारित प्रासंगिक विवरण के साथ एलआईसीएमएफ के साथ प्रस्तावित लेनदेन इस प्रकार हैं:

Further, the Board of Directors based on the recommendation of the Audit Committee, at its meeting held on May 15, 2026, recommended passing of the ordinary resolution contained in the Notice to the Members.

Though the aforesaid transactions being on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank are exempt from the requirements of Section 188 of the Act, approval of the Members is also being sought in terms of Section 188 of the Act for better governance. Prior approval of the Members is being sought for entering into all the arrangements / contracts / agreements / transactions (whether individual transactions or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LICMF whether by way of continuation(s) or extension(s) or renewal(s) or modification(s) of earlier arrangements / contracts / agreements / transactions or as fresh and independent transaction (s) or otherwise, during the financial year 2026-27. All the transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/ licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives, except to the extent of their shareholding in the Bank, are concerned / interested, financially or otherwise, in the Resolution No. 6.

The Members may note that in terms of the provisions of the Listing Regulations, related parties of the Bank as defined thereunder {whether such related party(ies) is a party to the transactions mentioned herein below or not}, shall not vote to approve Resolution No. 6. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The proposed transactions with LICMF along with the relevant details as prescribed in Industry Standard Note are as follows:

<u>संबद्ध पक्षकार (''आरपी'') के संबंध में सामान्य विवरण:</u>
<u>General details in respect of the Related Party ("RP"):</u>

क्रम सं. S. No.	**जानकारी का विवरण** / Particulars of the information	**प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी** Information provided by the management
1.	*संबद्ध पक्षकार का नाम / Name of the related party*	**एलआईसी म्यूचुअल फंड (एलआईसीएमएफ)** **LIC Mutual Fund (LICMF)**
2	संबद्ध पक्षकार के निगमन का देश / Country of incorporation of the related party	भारत / India
3.	संबद्ध पक्षकार के कारोबार की प्रकृति / Nature of business of the related party	म्यूचुअल फंड कंपनी Mutual Fund Company
4.	बैंक/सहायक कंपनी (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के मामले में) और संबद्ध पक्षकार के बीच संबंध - जिसमें उनकी चिंता की प्रकृति (वित्तीय या अन्य) और निम्नलिखित शामिल हैं: Relationship between the Bank/subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary) and the related party – including nature of its concern (financial or otherwise) and the following:	एलआईसीएमएफ प्रवर्तक समूह का सदस्य है LICMF is a member of promoter group
	• संबद्ध पक्षकार में बैंक / सहायक कंपनी (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के मामले में) की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयरधारिता. Shareholding of the Bank / subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary), whether direct or indirect, in the related party.	शून्य / Nil
	• जहां संबद्ध पक्षकार साझेदारी फर्म या एकल स्वामित्व वाली संस्था या शेयर पूंजी के बिना निगमित निकाय है, वहां बैंक / सहायक कंपनी द्वारा किया गया पूंजी अंशदान, यदि कोई हो (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के मामले में) Where the related party is a partnership firm or a sole proprietorship concern or a body corporate without share capital, then capital contribution, if any, made by the Bank / subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary).	लागू नहीं / NA
	• बैंक / सहायक कंपनी में संबद्ध पक्षकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयरधारिता (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के मामले में) Shareholding of the related party, whether direct or indirect, in the Bank / subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary). ***स्पष्टीकरण:*** अप्रत्यक्ष शेयरधारिता से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से धारित शेयरधारिता से है, जिस पर बैंक/सहायक कंपनी/ संबद्ध पक्षकार का नियंत्रण हो. ***Explanation:*** Indirect shareholding shall mean shareholding held through any person, over which the Bank/Subsidiary/ related party has control. अप्रत्यक्ष शेयरधारिता की गणना करते समय, संबंधियों द्वारा धारित शेयरधारिता को भी ध्यान में रखा जाएगा. While calculating indirect shareholding, shareholding held by relatives shall also be considered.	शून्य / Nil
5.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक या सहायक कंपनी द्वारा संबद्ध पक्षकार के साथ किए गए सभी लेन-देनों की कुल राशि. Total amount of all the transactions undertaken by the Bank or subsidiary with the related party during the last financial year. ***स्पष्टीकरण:*** बैंक और उसकी सहायक कंपनी के लिए विवरण अलग-अलग प्रकट किया जाना चाहिए. ***Explanation:*** *Details need to be disclosed separately for Bank and its subsidiary.*	(see table below)

क्रम सं. S. No.	**लेन-देन की प्रकृति** Nature of Transactions	**वि. व. 2025-26 (₹ करोड़)** FY 2025-26 (₹ crore)
1	म्यूचुअल फंड की बिक्री पर आईडीबीआई बैंक द्वारा प्राप्त कमीशन Commission on MF sale received by IDBI Bank	26.12
2	आईसीएमएस द्वारा प्राप्त ब्रोकरेज Brokerage received by ICMS	0.18
3	आईसीएमएस द्वारा प्राप्त पेशेवर/सलाहकार शुल्क Professional/Advisory Fees received by ICMS	0.12
कुल / Total		**26.42**

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण / Particulars of the information	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी Information provided by the management
6.	बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में संबंद्ध पक्षकार के साथ किए गए सभी लेन-देन की कुल राशि, उस तिमाही से ठीक पहले वाली तिमाही तक की राशि जिसमें अनुमोदन मांगा जा रहा है. Total amount of all the transactions undertaken by the Bank or subsidiary with the related party in the current financial year up to the quarter immediately preceding the quarter in which the approval is sought.	लागू नहीं / NA
7.	किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक या उसकी सहायक कंपनी के साथ किए गए किसी लेनदेन या व्यवस्था के तहत लिए गए किसी दायित्व के संबंध में चूक, यदि कोई हो. Any default, if any, made by a related party concerning any obligation undertaken by it under a transaction or arrangement entered into with the Bank or its subsidiary during the last financial year.	नहीं / No
8.	लेखापरीक्षा समिति की बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जा रहे प्रस्तावित लेन-देनों की राशि Amount of the proposed transactions being placed for approval in the meeting of the Audit Committee	₹ 10,030 करोड़ तक Upto ₹ 10,030 crore
9.	क्या प्रस्तावित लेनदेन, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकार के साथ किए गए लेनदेन के साथ मिलाकर, उन्हें एक महत्वपूर्ण संबंध पक्षकार लेनदेन बनाएंगे? Whether the proposed transactions taken together with the transactions undertaken with the related party during the current financial year would render the proposed transaction a material RPT?	हां / Yes सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 23(1) और अनुसूची XII के अनुसार, किसी संबद्ध पक्षकार के साथ किया गया लेन-देन आईडीबीआई बैंक के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि, चाहे वह एकल रूप से किया गया हो या एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेन-देनों के साथ मिलाकर, ₹ 2,781.56 करोड़ से अधिक हो. In accordance with Regulation 23(1) and Schedule XII of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, a transaction with a related party shall be deemed material for IDBI Bank if, whether entered into individually or in aggregate with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 2,781.56 crore
10.	प्रस्तावित लेन-देनों का मूल्य, ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में Value of the proposed transactions as a percentage of the Bank's annual consolidated turnover for the immediately preceding financial year	28.15%

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण / Particulars of the information	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी Information provided by the management
11.	प्रस्तावित लेन-देनों का मूल्य, सहायक कंपनी के ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के वार्षिक एकल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में (ऐसे लेन-देन के मामले में जिसमें सहायक कंपनी शामिल हो और जहाँ बैंक उस लेन-देन का पक्षकार न हो) Value of the proposed transactions as a percentage of subsidiary's annual standalone turnover for the immediately preceding financial year (in case of a transaction involving the subsidiary and where the Bank is not a party to the transaction)	लागू नहीं / NA
12.	प्रस्तावित लेन-देनों का मूल्य, संबद्ध पक्षकार के ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के वार्षिक समेकित टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में (यदि समेकित टर्नओवर उपलब्ध न हो, तो गणना संबद्ध पक्षकार के एकल टर्नओवर के आधार पर की जाए), यदि उपलब्ध हो. Value of the proposed transactions as a percentage of the related party's annual consolidated turnover (if consolidated turnover is not available, calculation to be made on standalone turnover of related party) for the immediately preceding financial year, if available.	29.17%
13.	संबद्ध पक्षकार का ठीक पिछले वित्तीय वर्ष का वित्तीय कार्यनिष्पादनः Financial performance of the related party for the immediately preceding financial year: **स्पष्टीकरण: / *Explanations:*** उपरोक्त जानकारी को एकल आधार पर प्रदान किया जाना है. यदि एकल आधार पर उपलब्ध न हो, तो समेकित आधार पर प्रदान करें. *The above information is to be given on standalone basis. If standalone is not available, provide on consolidated basis.*	**विवरण / Particulars** — **वि. व. 2024-25 (₹ करोड़) FY 2024-25 (₹ crore)** टर्नओवर (एयूएम) / Turnover (AUM): 34,380.39 कर पश्चात लाभ / Profit After Tax: 8.29 निवल मालियत / Net worth: 252.75

एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार लेनदेनों हेतु लेनदेन-विशिष्ट विवरण:
Transaction specific details for proposed related party transactions with LICMF:

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण Particulars of the information	लेन-देन I Transaction I	लेन-देन II Transaction II
14.	प्रस्तावित लेन-देन का विशिष्ट प्रकार (जैसेः वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री, वस्तुओं/सेवाओं की खरीद, ऋण देना, उधार लेना आदि) Specific type of the proposed transaction (e.g. sale of goods/services, purchase of goods/services, giving loan, borrowing etc.)	**वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, क्रय या आपूर्ति अथवा अन्य ऐसे व्यावसायिक लेनदेन एवं व्यापार अग्रिम.** **Sale, purchase or supply of goods or services or any other similar business transaction and trade advances.**	

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण Particulars of the information	लेन-देन I Transaction I	लेन-देन II Transaction II
15.	प्रस्तावित प्रत्येक प्रकार के लेनदेन का विवरण Details of each type of the proposed transaction	म्यूचुअल फंड की बिक्री पर कमीशन की प्राप्ति Receipt of commission on sale of Mutual Funds	विशेष रूप से उल्लिखित लेनदेनों के अतिरिक्त, एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ अन्य लेनदेन/व्यवस्थाएँ भी हो सकती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, Apart from the transactions as specifically mentioned there may be other transactions/arrangements with LICMF, including but not limited to विभिन्न मुद्रा बाज़ार लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों / सीडी / एसएलआर / गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री / प्राथमिक बाज़ार के माध्यम से कॉरपोरेट बॉन्ड की प्राथमिक नीलामी में भागीदारी तथा द्वितीयक बाज़ार में उन बॉन्डों एवं मुद्रा बाज़ार लिखतों की खरीद एवं बिक्री शामिल है. ऐसे लेनदेनों से अर्जित कुल लाभ अधिक नहीं है, तथापि क्रय एवं विक्रय लेनदेनों का योग महत्वपूर्ण सीमा से अधिक हो सकता है, जिसकी आवश्यकता का वर्तमान में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता. तद्नुसार ऐसे लेनदेन, जिन्हें बैंक द्वारा किया जा सकता है, के लिए भी शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा जा रहा है. Various money market transactions, Buying / Selling of Govt. Securities / CDs / SLR / Non-SLR securities/participating in primary auction of Corporate Bonds through primary market as well as buying & selling those Bonds in secondary market and money market instruments. The total profits earned from such transactions is not high but the summation of buy & sell transactions may exceed materiality threshold, the need for which cannot be foreseen currently. Accordingly, approval from shareholders is also being sought for such transactions that may be entered into by the Bank.
16.	प्रस्तावित लेनदेन की अवधि (अवधि वर्षों या महीनों की संख्या में निर्दिष्ट की जानी है) Tenure of the proposed transaction (tenure in number of years or months to be specified)	वित्तीय वर्ष 2026-27 Financial year 2026-27	लेन-देन की अवधि सहित निबंधन एवं शर्तें केवल लेन-देन के समय ही निर्धारित की जा सकती हैं. The terms and conditions including the tenure of the transactions could be determined only at the time of occurrence.
17.	क्या समग्र अनुमोदन मांगा जा रहा है? Whether omnibus approval is being sought?	हाँ / Yes	
18.	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य Value of the proposed transaction during a financial year.	₹ 30 करोड़ ₹ 30 crore	₹ 10,000 करोड़ तक Upto ₹ 10,000 crore
	यदि प्रस्तावित लेनदेन एक से अधिक वित्तीय वर्षों में निष्पादित किया जाना है, तो वित्तीय वर्ष-वार इसका अनुमानित विवरण प्रदान करें. If the proposed transaction will be executed over more than one financial year, provide estimated break-up financial year-wise.	वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान लेनदेनों के समग्र मूल्य हेतु अनुमोदन मांगा जा रहा है. The approval is being sought for overall value of transactions during the financial year 2026-27.	

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण Particulars of the information	लेन-देन I Transaction I	लेन-देन II Transaction II
19.	इस बात का औचित्य कि प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार लेनदेन बैंक के हित में क्यों हैं. Justification as to why the RPTs proposed to be entered into are in the interest of the Bank.	यह लेन-देन बैंक को अपने विस्तृत शाखा नेटवर्क का लाभ उठाकर अतिरिक्त शुल्क-आधारित आय अर्जित करने और ग्राहकों के लिए अपने उत्पाद प्रस्तावों में विविधता लाने में सक्षम बनाता है, अतः यह बैंक के हित में है. The transaction enables the Bank to leverage its extensive branch network to generate additional fee-based income and diversify its product offerings for customers and hence it is in the interest of the Bank.	प्रस्तावित लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदनों/ पंजीकरणों/लाइसेंसों (जहां कहीं आवश्यक हो) के अनुरूप किए जाएंगे और ये बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा लागू विधियों के अनुरूप होने के कारण बैंक के हित में हैं. ये लेन-देन दस्तावेजीकरण, अनुमोदनों, सीमा और निगरानी ढांचे के संबंध में मौजूदा आंतरिक और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन हैं. The proposed transactions would be undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses (wherever necessary) held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank. These transactions are subject to compliance of extant internal and regulatory guidelines in terms of documentation, approvals, limit and monitoring framework.
20.	बैंक के प्रवर्तक(कों) / निदेशक(कों) / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का विवरण, जिनका उक्त लेनदेन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हित है. Details of the promoter(s) / director(s) / key managerial personnel of the Bank who have interest in the transaction, whether directly or indirectly. स्पष्टीकरणः परोक्ष हित का आशय ऐसे हित से है जो किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से धारित हो जिस पर संबंधित व्यक्ति का नियंत्रण हो Explanation: Indirect interest shall mean interest held through any person over which an individual has control.	लागू नहीं / NA	
	क. निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का नाम a. Name of the director / KMP	लागू नहीं / NA	
	ख. संबद्ध पक्षकार में निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष b. Shareholding of the director / KMP, whether direct or indirect, in the related party	लागू नहीं / NA	
21.	मूल्यांकन या किसी अन्य बाहरी पक्षकार की रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी. A copy of the valuation or other external party report, if any, shall be placed before the Audit Committee.	लागू नहीं / NA	
22.	निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक अन्य जानकारी. Other information relevant for decision making.	लागू नहीं / NA	
23.	वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, क्रय अथवा आपूर्ति के लिए किसी पक्षकार के चयन हेतु अपनाई गई निविदा या अन्य प्रक्रिया, यदि कोई हो. Bidding or other process, if any, applied for choosing a party for sale, purchase or supply of goods or services.	लागू नहीं / NA	

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण Particulars of the information	लेन-देन I Transaction I	लेन-देन II Transaction II
24.	कीमत निर्धारण का आधार Basis of determination of price.	बैंक सेबी विनियमों के अनुसार कमीशन प्राप्त करता है The Bank receives commission in accordance with SEBI regulations.	लेनदेनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, शर्तों का निर्धारण लेनदेन के समय बाज़ार मूल्यों तथा प्रचलित बैंकिंग प्रथाओं / मानदंडों के अनुसार किया जाता है. संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन की गई गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की कीमत वही होती है, जो अन्य गैर-संबद्ध संस्थाओं को ऑफर की जाती है. Considering the nature of transactions, the terms are being determined as per market prices and as per prevalent banking practices / norms at the time of the transaction. The pricing of non-SLR securities transacted with related parties is the same as that offered to other non-related entities.
25.	यदि किसी लेनदेन के संबंध में संबद्ध पक्षकार को कोई व्यापारिक अग्रिम (365 दिनों तक या ऐसी अवधि के लिए, जिसके लिए ऐसे अग्रिम सामान्य व्यापारिक प्रथा के अनुसार दिए जाते हैं) प्रस्तावित हो, तो निम्नलिखित विवरण का उल्लेख करें: In case of Trade advance *(of upto 365 days or such period for which such advances are extended as per normal trade practice),* if any, proposed to be extended to the related party in relation to the transaction, specify the following:	लागू नहीं / NA	
	क. व्यापार अग्रिम की राशि a. Amount of Trade advance	लागू नहीं / NA	
	ख. अवधि b. Tenure	लागू नहीं / NA	
	ग. क्या यह स्वयं परिसमापनशील है? c. Whether same is self-liquidating?	लागू नहीं / NA	

बोर्ड के आदेश द्वारा / By Order of the Board
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / For IDBI Bank Limited

राकेश शर्मा / Rakesh Sharma
एमडी व सीईओ / MD & CEO
डीआईएन: / DIN: 06846594

पंजीकृत कार्यालय: / Registered Office:
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI Bank Limited
आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, / IDBI Tower, WTC Complex,
कफ़ परेड, / Cuffe Parade,

मुंबई-400 005 / Mumbai-400 005
दिनांक: 12 जून 2026 / Dated: June 12, 2026

सूचना का अनुबंध

Annexure to the notice

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) और महासभाओं के बारे में सचिवीय मानक-2 के अनुसार ब्योरा

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

निदेशक का नाम **Name of Director**	**श्री अभिजीत चक्रवर्ती** **Shri Abhijit Chakravorty**	**श्री केतन विकमसे** **Shri Ketan Vikamsey**	**श्री जयकुमार एस. पिल्लै** **Shri Jayakumar S. Pillai**
पदनाम **Designation**	अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी) Additional Director (Independent Category)	अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी) Additional Director (Independent Category)	उप प्रबंध निदेशक Deputy Managing Director
जन्म तिथि **आयु** **Date of Birth** **Age**	10-03-1965 61 वर्ष 10-03-1965 61 years	30-03-1966 60 वर्ष 30-03-1966 60 years	31-05-1965 61 वर्ष 31-05-1965 61 years
प्रथम नियुक्ति की तारीख **Date of first appointment**	19 मई 2026 May 19, 2026	26 जून 2026 June 26, 2026	12 जून 2023 June 12, 2023
योग्यता **Qualification**	एम.एससी, एप्लाइड केमिस्ट्री, सीएआईआईबी M.Sc, Applied Chemistry, CAIIB	बी. कॉम, एफ़सीए B. Com, FCA	बी.एफ़.एससी, एमबीए (वित्त), पीजीडीएफ़टी, आईसीए, लंदन से अभिशासन, जोखिम एवं अनुपालन (जीआरसी) में डिप्लोमा, सीएआईआईबी BFSc, MBA(Finance), PGDFT, Diploma in Governance, Risk & Compliance (GRC) from ICA, London, CAIIB
विशेषज्ञता **Expertise**	बैंकिंग, वित्त, लघु उद्योग, मानव संसाधन, जोखिम, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान, कारोबार प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन. Banking, Finance, Small-Scale Industry, HR, Risk, Information Technology, Payment & Settlement, Business Management, Administration and Corporate governance	लेखाशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, जोखिम, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन. Accountancy, Banking, Finance, Risk, Information Technology, Administration and Corporate governance.	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त, लघु उद्योग, मानव संसाधन, जोखिम, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन. Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Finance, Small-Scale Industry, Human Resource, Risk, Business Management, Administration and Corporate Governance
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद **Directorship in other entities**	1. बॉबकार्ड लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक BOBCard Limited - Independent Director	शून्य / Nil	1. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड - अध्यक्ष IDBI Trusteeship Services Ltd. – Chairman
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता **Membership / Chairmanship in Committees of other entities**	1. बॉबकार्ड लिमिटेड- लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष BOBCard Limited- Audit Committee - Chairman	शून्य / Nil	शून्य / Nil

निदेशक का नाम Name of Director	श्री अभिजीत चक्रवर्ती Shri Abhijit Chakravorty	श्री केतन विकमसे Shri Ketan Vikamsey	श्री जयकुमार एस. पिल्लै Shri Jayakumar S. Pillai
सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे निदेशकों ने पिछले 3 वर्षों में इस्तीफा दिया है, यदि कोई हो Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
निदेशक की शेयरधारिता Shareholding of Directors	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
निदेशकों का पारस्परिक संबंध Relationship between directors inter-se	कोई नहीं / None	कोई नहीं / None	कोई नहीं / None
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें Terms and Conditions of Appointment/Re-appointment	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी यथा संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं. The terms and conditions governing the appointment and re-appointment of Independent Directors are in accordance with the provisions of Schedule IV of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the guidelines issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time.	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी यथा संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं. The terms and conditions governing the appointment and re-appointment of Independent Directors are in accordance with the provisions of Schedule IV of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the guidelines issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time.	पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35B तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 203 और अनुसूची V में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हैं. Terms and conditions for Appointment of WTD are as provided in Section 35B of Banking Regulation Act, 1949, Sections 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013. बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार, उप प्रबंध निदेशक ऐसी शक्तियों एवं प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो उन्हें बोर्ड या प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं और यह बैंक के एमडी एवं सीईओ के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन होगा. As per the Articles of Association of the Bank, the DMDs shall exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the MD & CEO, subject to the supervision, direction and control of the MD & CEO of the Bank.

निदेशक का नाम Name of Director	श्री अभिजीत चक्रवर्ती Shri Abhijit Chakravorty	श्री केतन विकमसे Shri Ketan Vikamsey	श्री जयकुमार एस. पिल्लै Shri Jayakumar S. Pillai
पारिश्रमिक **Remuneration**	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं. Entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं. Entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	उप प्रबंध निदेशक को देय पारिश्रमिक रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से अनुमोदित अनुसार होगा. Remuneration payable to DMD would be as approved annually by RBI.
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का औचित्य तथा इसकी भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशकों द्वारा ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने का तरीका. **Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.**	बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल का यह मत है कि श्री चक्रवर्ती एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं तथा उनकी योग्यताएँ, बोर्ड स्तर का अनुभव एवं विशेषज्ञता बैंक के हित में हैं. The NRC and Board of Directors of the Bank is of the opinion that Shri Chakravorty is a person of integrity and his qualifications, Board Level experience and expertise, is in the interest of the Bank. इसके अलावा, बोर्ड का यह मत है कि श्री चक्रवर्ती बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपेक्षित कौशल एवं क्षमताओं से संपन्न हैं Further, the Board is of the view that Shri Chakravorty possesses the required skills and capabilities required for an Independent Director of the Bank	बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल का यह मत है कि श्री विकमसे एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं तथा उनकी योग्यताएँ, बोर्ड स्तर का अनुभव एवं विशेषज्ञता बैंक के हित में हैं. The NRC and Board of Directors of the Bank is of the opinion that Shri Vikamsey is a person of integrity and his qualifications, Board Level experience and expertise, is in the interest of the Bank. इसके अलावा, बोर्ड का यह मत है कि श्री विकमसे बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपेक्षित कौशल एवं क्षमताओं से संपन्न हैं. Further, the Board is of the view that Shri Vikamsey possesses the required skills and capabilities required for an Independent Director of the Bank	लागू नहीं Not Applicable
वित्तीय वर्ष 2025-26 में आज की तिथि तक बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या (आयोजित/ उपस्थित) **Number of Board meetings attended till date of FY 2025-26 (Held/Attended)**	लागू नहीं (19 मई 2026 से नियुक्त) Not applicable (appointed w.e.f. May 19, 2026)	लागू नहीं (26 जून 2026 से नियुक्त) Not applicable (appointed w.e.f. June 26, 2026)	(14/14)